छत्तीसगढ़ शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2022-23

छत्तीसगढ़ शासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

तथा

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2022-23

छत्तीसगढ़ शासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

तथा

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

प्रस्तावना

विभाग द्वारा वर्ष 2022–23 का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रतिवेदन में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालयों/आयोग की गतिविधियों एवं उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी संकलित की गई है।

साथ ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग तथा उसके अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालय/आयोग की जानकारी संकलित की गई है।

सचिव
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
एवं
20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

विभागीय संरचना

छत्तीसगढ़ शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

विभाग का नाम	:	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
प्रभारी मंत्री का नाम	:	श्री अमरजीत भगत

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय में पदस्थ अधिकारीगण

सचिव	:	श्री हिमशिखर गुप्ता (भा.प्र.से.)
संयुक्त सचिव	:	श्री जी.एल. सांकला
संयुक्त सचिव	:	श्री अमृत विकास तोपनो (भा.प्र.से.)
अवर सचिव	:	श्रीमती हेमलता एक्का

विभागाध्यक्ष के रूप में पदस्थ अधिकारी

संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी	:	श्री अमृत विकास तोपनो (भा.प्र.से.)

आयोग में पदस्थ अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग	:	अध्यक्ष - मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ उपाध्यक्ष - श्री अजय सिंह (से.नि.भा.प्र.से.) सदस्य सचिव - श्री अनुप कुमार श्रीवास्तव (से.नि.भा.व.से.)

छत्तीसगढ़ शासन

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

विभाग का नाम	:	20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
प्रभारी मंत्री का नाम	:	श्री टी.एस. सिंहदेव

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग मंत्रालय में पदस्थ अधिकारी

सचिव	:	श्री हिमशिखर गुप्ता (भा.प्र.से.)
संयुक्त सचिव	:	श्री जी.एल. सांकला
संयुक्त सचिव	:	श्री अमृत विकास तोपनो (भा.प्र.से.)
अवर सचिव	:	श्रीमती हेमलता एक्का

विभागाध्यक्ष के रूप में पदस्थ अधिकारी

संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी	:	श्री अमृत विकास तोपनो (भा.प्र.से.)

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य स्तरीय समीक्षा समिति में पदस्थ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष

राज्य स्तरीय समीक्षा समिति	:	अध्यक्ष-मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ उपाध्यक्ष - श्री अजय अग्रवाल

विभागीय संरचना

मंत्रालय,
माननीय मंत्री, छ.ग. शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
↓
सचिव
↓
संयुक्त सचिव
↓
अवर सचिव
↓

- संचालक (आसांसं)
  ↓ अपर संचालक
  ↓ संयुक्त संचालक
  ↓ उप संचालक / जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी
  - सहायक संचालक → सहायक संचालक (वित्त) → सहायक सांख्यिकी अधिकारी → अधीक्षक → अन्वेषक → डाटा एण्ट्री ऑपरेटर → कनिष्ठ लेखा परीक्षक → सहायक ग्रेड–1 → सहायक ग्रेड–2 → सहायक ग्रेड–3 → निज सहायक → शीघ्र लेखक → स्टेनो टायपिस्ट → वाहन चालक → चतुर्थ श्रेणी
  - सहायक संचालक (योजना/सांख्यिकी) → सहायक सांख्यिकी अधिकारी → खण्ड स्तर अन्वेषक → डाटा एण्ट्री ऑपरेटर → सहायक ग्रेड–1 → सहायक ग्रेड–2 → सहायक ग्रेड–3 → स्टेनो टायपिस्ट → वाहन चालक → चतुर्थ श्रेणी
- सदस्य सचिव (रा.यो.आ.)
  - संयुक्त संचालक → शोध अधिकारी → सहायक संचालक → प्रशासकीय अधिकारी → शीघ्र लेखक ग्रेड–1 → सहायक प्रोग्रामर → सहायक सांख्यिकी अधिकारी → कनिष्ठ ग्रंथपाल → अन्वेषक → डाटा एण्ट्री ऑपरेटर
  - संयुक्त संचालक (वित्त) → अवर सचिव → वरिष्ठ लेखापाल → कनिष्ठ लेखापाल → सहायक ग्रेड–1 → सहायक ग्रेड–2 → सहायक ग्रेड–3 → वाहन चालक → चतुर्थ श्रेणी

विभाग को आबंटित कार्य

विभाग को आबंटित कार्य

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषयः

1. पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं का निर्माण, पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन.
2. उन परियोजनाओं/कार्यक्रमों, जो योजना में सम्मिलित नहीं है, सहित परियोजनाओं कार्यक्रमों का पूर्व मूल्यांकन तथा अनुमोदन.
3. भावी योजना बनाना जिसमें सामाग्री, जनशक्ति तथा संसाधन योजना बनाना शामिल है तथा संसाधन तालिकाएं तैयार करना.
4. संपूर्ण राज्य के लिए साथ ही विभिन्न जिलों तथा क्षेत्रों के लिए सेक्टरों में विकास के स्तर का निर्धारण.
5. पंचवर्षीय योजना के समग्र राष्ट्रीय उद्देश्यों की दृष्टि से राज्य के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण.
6. स्थानीय और क्षेत्रीय (सेक्टोरल) योजनाओं का एकीकृत राज्य योजनाओं के साथ संश्लेषण करना और उनके निर्मित रूप का योजना आयोग से संगत समन्वय करना.
7. योजना प्रगति का परिवीक्षण और मूल्यांकन तथा योजना आयोग से संगत जानकारी एकत्र करना.
8. अनुसंधान तथा प्रशिक्षण.
9. योजना आयोग से संबंधित समस्त विषय.
10. अन्य विभागों को सौंपे गये विषयों को छोड़कर आर्थिक तथा सांख्यिकी अन्वीक्षा से संबंधित समस्त विषय.
11. सामाजिक सर्वेक्षण तथा अन्वीक्षा.
12. औद्योगिक सांख्यिकी जिसमें औद्योगिक सांख्यिकी अधिनियम, 1942 तथा सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2011 सांख्यिकी संग्रहण (संशोधन) अधिनियम 2017 का प्रशासन शामिल है.

13. आर्थिक एवं सांख्यिकी अनुसंधान का प्रकाशन और प्रसार तथा उसके परिणाम का प्रकाशन.

14. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना से संबंधित कार्य.

15. शासन के विभागों की 50 करोड़ या उससे अधिक की परियोजनाओं की मंजूरी हेतु परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति का अनुमोदन।

16. अन्य विभागों को सौंपे गये विषयों को छोड़कर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र से संबंधित समस्त विषय.

17. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थः– नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतिं, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन.

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियमः

1. विलोपित.
2. जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (भारत सरकार द्वारा प्रशासित)
3. औद्योगिक सांख्यिकी अधिनियम, 1942 (भारत सरकार द्वारा प्रशासित)
4. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 नियम 2011 (संशोधन) अधिनियम 2017 (भारत सरकार द्वारा प्रशासित)
5. छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995.
6. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (छत्तीसगढ़) नियम, 2001.
7. छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति निर्वाचन नियम, 1995.
8. छत्तीसगढ़ जिला योजना उप समितियां (संरचना, कार्य सदस्यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1995
9. छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013

10. छत्तीसगढ़ आर्थिक एवं सांख्यिकी तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती निमय, 1989.
11. छत्तीसगढ़ आर्थिक एवं सांख्यिकी तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2018.
12. छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 2016.

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालयः

1. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगमः

1. कुछ नहीं

(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकायः

1. राज्य योजना आयोग
2. जिला योजना समिति
3. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र

(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा का नाम, यदि कोई हो, तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई होः

1. विभाग के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी लिपिक एवं अलिपिकीय सेवा एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा.
2. राज्य योजना आयोग के कर्मचारियों / अधिकारियों से संबंधित सेवा.

विषय सूची

क्र	विभाग	संचालनालय/आयोग	पृष्ठ संख्या
1	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	1. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	1—15
		2. राज्य योजना आयोग	16—34
2.	20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	1. 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	35—42

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ इन्द्रावती-भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला - रायपुर

भाग - एक

विभागीय संरचना

राज्य की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में समन्वय, क्षेत्र सर्वेक्षण तथा विविध विषयों पर सांख्यिकी के एकत्रीकरण, सारणीयन एवं संकलित जानकारी के प्रस्तुतीकरण इत्यादि कार्यों को संपादित करने हेतु राज्य, जिला एवं जनपद मुख्यालय पर विभिन्न संवर्गों के अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ हैं। वर्तमान में स्वीकृत एवं कार्यरत अमले का विवरण **परिशिष्ट–एक** में दर्शाया गया है।

अधीनस्थ कार्यालय

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के अधीनस्थ जिला स्तर पर प्रदेश के 28 जिलों में जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय स्थापित है। संचालनालय में प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों के निष्पादन हेतु **09** संभाग हैं जिनका विवरण **परिशिष्ट–दो** में दर्शाया गया है।

संचालनालय के दायित्व

शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के सविन्यास, प्रशासन एवं विकास से संबंधित आधारभूत सांख्यिकी का संकलन, सर्वेक्षण, विश्लेषण, मूल्यांकन तथा उन्हें प्रकाशित कर सामाजार्थिक स्थिति का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रांकन करने एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण दायित्व इस संचालनालय का है। राज्य शासन द्वारा संचालनालय को इस हेतु नोडल अभिकरण घोषित किया गया है ।

संचालनालय के प्रमुख कार्य

1. सामान्य जानकारी

1.1 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के विन्यास हेतु विकास कार्यक्रमों एवं प्रशासकीय उपयोग हेतु वांछित सांख्यिकी का संकलन एवं विश्लेषण कार्य संपादित किया जाता है, साथ ही राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आंकलन करने के अलावा राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अपेक्षित सर्वेक्षण/मूल्यांकन अध्ययनों का निष्पादन का दायित्व भी संचालनालय का है ।

1.2 संचालनालय अपने तकनीकी कार्यों के संपादन हेतु राष्ट्रीय नीति का पूर्णतः अनुसरण करता है । इसके अंतर्गत भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण कार्यालय, भारत के महारजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु पंजीयन) एवं नीति–आयोग के अनुदेशों तथा निर्देशों के अनुरूप उपयोगी सांख्यिकी का निर्धारित प्रारूपों में संकलन, संधारण तथा विभिन्न प्रकाशनों का प्रकाशन किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अनुसूचियों द्वारा राज्य स्तर पर भी संचालनालय में सर्वेक्षण संपादित किया जाता हैं।

1.3 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मार्गदर्शन में राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार किये जाते है ।

1.4 संचालनालय की सांख्यिकी गतिविधियों का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय नीतियों के परिपेक्ष्य में राज्य के सांख्यिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण कर प्रशासन, योजनाविदों तथा शोधकर्ताओं को उपयोगी सांख्यिकी उपलब्ध कराना है ।

2 प्रमुख गतिविधियाँ

2.1 राज्य की अर्थव्यवस्था संबंधी प्रकाशन

राज्य की सामाजिक स्थिति तथा उसे प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों एवं नीतियों का वार्षिक विश्लेषणात्मक अध्ययन छत्तीसगढ़ का **आर्थिक सर्वेक्षण** के रूप में प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशन के अंतर्गत प्रमुख रूप से राज्यीय आय, कृषि– उत्पादन,

पशुपालन, मत्स्य विकास, वानिकी, जल–संसाधन, ऊर्जा, उद्योग, खनिज, परिवहन, श्रम एवं रोजगार, सहकारिता एवं बैंकिंग तथा सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विभागों की विकासात्मक गतिविधियों के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। प्रतिवर्ष विधानसभा के बजट सत्र में यह प्रकाशन माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया जाता है ।

2.2 राज्यीय आय (राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान)

राज्य की अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का आंकलन करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) भारत सरकार, नई दिल्ली के मार्गदर्शन में प्रतिवर्ष राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान एवं प्रति व्यक्ति आय (प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) तैयार किये जाते है । वर्ष 2019–20 (प्रावधिक), 2020–21 (त्वरित) एवं 2021–22 (अग्रिम) तैयार किये गये। इन अनुमानों को राज्यीय आय अध्याय के रुप में आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021–22 में शामिल कर विधान सभा के बजट सत्र में पटल पर रखा गया।

2.3 बजट विश्लेषण

राज्य के वार्षिक बजट का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण भी संचालनालय द्वारा किया जाता है, जो राज्य की प्राथमिकताओं का सूचक है। संचालनालय द्वारा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार राज्य शासन की वार्षिक बजट वर्ष 2022–23 का वर्गीकरण कर वर्ष 2020–21 (लेखा), 2021–22 (पु.अ.) एवं 2022–23 (ब.अ.) की जानकारी तैयार कर केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय एवं संचालनालय के राज्यीय आय संभाग को क्रमशः राष्ट्रीय आय एवं राज्यीय आय के अनुमान तैयार करने हेतु उपलब्ध कराया गया है।

2.4 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्य

केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनता के हित में नीति निर्माण हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष निर्धारित विषय पर सर्वे कार्य का आयोजन किया जाता है। जिसके अंतर्गत घर–घर जाकर संबंधित विषयों पर प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किये जाते हैं। उल्लेखनीय है कि रा.प्र.स. के 79वें दौर

(जुलाई 2022 से जून 2023) में भारत शासन द्वारा ऐसे सामाजिक आर्थिक संकेतक जिस पर प्रशासनिक डाटा अन्य स्त्रोत से अनुपलब्ध है उनकी जानकारी प्राप्त की जानी है।

जिसक अंतर्गत CAMS अनुसूची के द्वारा वैश्विक स्तर पर निर्धारित SDG संकेतांक एवं उप संकेतांक की जानकारी प्राप्त की जावेगी। इसी प्रकार AYUSH अनुसूची के अंतर्गत आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, सोवारिग्पा और होम्योपैथी जैसी प्राचीन पद्धति के प्रति जागरूकता, उपचार के तरीके जानने एवं उसके उपयोग पर बल देने के उद्देश्य से आयुष अनुसूची में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रा.प्र.स. के 79वें दौर में Comprehensive Annual Modular Survey (CAMS) एवं Survey on AYUSH विषय पर कुल आबंटित 640 प्रतिदर्शो में से प्रथम एवं द्वितीय उपदौर में कुल 304 प्रतिदर्शो का क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य दिनांक 31 दिसम्बर 2022 तक पूर्ण किया गया है।

जिनसे प्राप्त आंकडों के आधार पर ही केन्द्र की NSS इकाई के द्वारा डाटा का अवलोकन एवं विशलेषण कर रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट राज्य एवं केन्द्र सरकार को विभिन्न योजनाओं के संबंध में नीति निर्माण का आधार प्रदान करती है।

2.5 जन्म–मृत्यु पंजीयन कार्य

राज्य में जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन कार्य भारत सरकार के जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं छत्तीसगढ़ जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001 के प्रावधानों के तहत किया जाता है।

(1) जन्म–मृत्यु पंजीयन संबंधी अधिनियम/नियम–

(अ) जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

(ब) छत्तीसगढ़ राज्य जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001

(2) जन्म–मृत्यु पंजीयन हेतु पदाधिकारी गण–

उक्त अधिनियम एवं नियम में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नांकित पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है–

पदनाम	पदाधिकारी	अधिकारिता
संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी	मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	सम्पूर्ण छत्तीसढ़ राज्य
संयुक्त संचालक (जीवनांक)	संयुक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	सम्पूर्ण छत्तीसढ़ राज्य
उप संचालक (जीवनांक)	उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	सम्पूर्ण छत्तीसढ़ राज्य
सहायक संचालक (जीवनांक)	सहायक मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	सम्पूर्ण छत्तीसढ़ राज्य
संभागीय आयुक्त	संभागीय मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	राजस्व संभाग के भीतर
कलेक्टर	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	राजस्व जिले के भीतर
मुख्य कार्य. अधि. जिलापंचायत	सहा. अति. मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	राजस्व जिले के भीतर
जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	जिले के भीतर
मुख्य कार्य. अधि. जनपद पंचायत	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	जनपद पंचायत के भीतर
आयुक्त नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगरपंचायत	रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	निकाय क्षेत्र में
सचिव, ग्राम पंचायत	रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	पंचायत क्षेत्र में
प्रभारी अधिकारी, समस्त शासकीय अस्पताल	रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)	संस्था में
प्रभारी अधिकारी, समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्र	उप रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु)	संस्था में

(3) जन्म–मृत्यु पंजीयन के सुदृढ़ीकरण हेतु शासन के प्रयास–

छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म एवं मृत्यु पंजीयन के सुदृढ़ीकरण को एक अभियान के रूप में लिया गया है। जन्म एवं मृत्यु पंजीयन स्तर में विधि एवं सरलीकरण करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं–

1. राज्य के समस्त शासकीय अस्पतालों को पंजीयन इकाई बनाया गया है।
2. राज्य में भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के वेब पोर्टल में ऑनलाईन जन्म–मृत्यु पंजीयन प्रारंभ किया गया है, जिसके द्वारा वर्तमान में लगभग 85 प्रतिशत पंजीयन इकाइयों द्वारा ऑनलाईन जन्म–मृत्यु पंजीयन किया जा रहा है, जिसमें राज्य में हुए कुल जन्म–मृत्यु पंजीयन घटनाओं का 95.5 प्रतिशत ऑनलाईन पंजीयन किया गया है।
3. जन्म और मृत्यु पंजीयन के संबंध में जिला रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) एवं उनके कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया।
4. विलंबित पंजीयन को सरल करने हेतु आवश्यक शपथ पत्र (नोटरी) के स्थानपर स्व–प्रमाणित शपथ पत्र को मान्य किया गया है, जिसे एएनएम/ एम.पी.डब्ल्यू./ स्कूल के प्राचार्य द्वारा सत्यापित किया जाता है।
5. वर्ष 2022 में जन्म–मृत्यु पंजीयन, मृत्यु के चिकित्सकीय प्रमाणीकरण की रिपोर्टिंग में प्रगति लाने हेतु जिलों का चयन कर एक दिवसीय कार्य शाला आयोजित कर प्रशिक्षण दिया गया।
6. छ.ग. राज्य निम्नानुसार उपलब्धियां रही है–

जन्म पंजीयन का प्रतिशत–वर्ष 2021	–	83.6 प्रतिशत
मृत्यु पंजीयन का प्रतिशत–वर्ष 2021	–	94.2 प्रतिशत

साथ ही वर्ष 2022 में MIS के अनुसार वर्तमान में जन्म पंजीयन 70.3 प्रतिशत एव मृत्यु पंजीयन 83.9 प्रतिशत हुआ है।

2.6 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतिम औद्योगिक श्रमिकों के परिवारिक आय–व्ययों का पायलेट सर्वेक्षण भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम ब्यूरो–शिमला के द्वारा सम्पन्न कराया जा रहा है। वर्ष 2014–15 से छत्तीसगढ राज्य के तीन जिलों का चयन कर लिया गया है। चयनित जिलों के अंतिम बाजार निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	जिला	बाजार
1	रायपुर	I- गोल बाजार
		II- बीरगांव
2	कोरबा	I- निहारिका
		II- कोसाबाड़ी
		III- ट्रांसपोर्ट नगर
3	दुर्ग (भिलाई)	I- आकाशगंगा
		II- केम्प–2

वार्षिक कार्यकलाप

(क) वर्ष 2022–23 में प्रकाशित प्रकाशन

1. छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23 (फरवरी 2023 में प्रस्तावित)
2. छत्तीसगढ़ के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2011–12 से 2021–22(अ)
3. छत्तीसगढ़ राज्य के बजट का आर्थिक एवं उददेश्यवार वर्गीकरण वर्ष 2019–20(लेखा) वर्ष 2020–21 (पुनरीक्षित) एवं वर्ष 2021–22(बजट अनुमान)
4. छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप वर्ष 2021–22(अप्रेल 2023 में प्रस्तावित)
5. छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में वर्ष 2022(अप्रेल 2023 में प्रस्तावित)
6. अधिनियम के कार्यकरण पर वार्षिक रिपोर्ट– 2021
7. राज्य में होने वाले प्रत्येक जन्म–मृत्यु की घटनाओं के पंजीयन का वार्षिक जीवनांक सांख्यिकी प्रतिवेदन– 2021.
8. राज्य में होने वाले संस्थागत एवं गैर–संस्थागत मृत्यु के कारणों का चिकित्सकीय प्रमाणीकरण (Medical Certification of Cause of Death - MCCD) की वार्षिक रिपोर्ट–2021.
9. वार्षिक रिपोर्ट वर्ष –2021.

(ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनांतर्गत 17 वीं लोकसभा हेतु 31 नवम्बर 2022 की स्थिति में कुल प्राप्त राशि 9908.69 लाख रूपये, जारी किया गया है, जिसमें से राशि रू. 6672.77 लाख की लागत से 1827 कार्य स्वीकृत किये गये है, उसमें से 1197 कार्य पूर्ण हो चुके है। इसी तरह राज्य के राज्यसभा सदस्यों हेतु 31 नवम्बर 2022 की स्थिति में कुल प्राप्त राशि रू. 11840.85 लाख रूपये, भारत सरकार द्वारा

छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी किया गया है, जिसमें से राशि रू. 9716.28 लाख की लागत से 2680 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें से 2287 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

(ग) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के मान से राशि रूपये 400.00 लाख का प्रावधान है, जिसमें से प्रत्येक माननीय विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास हेतु राशि रूपये 296.00 लाख एवं माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा राशि रूपये 100.00 लाख के विकास एवं निर्माण कार्य हेतु अनुशंसा कर सकते हैं। शेष 1 प्रतिशत की राशि रूपये 4.00 लाख आकस्मिक निधि के रूप में व्यय करने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु 30 नवम्बर 2022 तक कुल राशि रूपये 14473.84 लाख के विरूद्ध 3730 कार्य स्वीकृत किये गये है, जिसमें से 436 कार्य पूर्ण हो चुके है।

(घ) राज्य मे होने वाले प्रत्येक जन्म–मृत्यु की घटनाओं के पंजीयन का वार्षिक जीवनांक सांख्यिकी प्रतिवेदन तैयार किया जाता है

(ड.) राज्य मे होने वाले संस्थागत एवं गैर–संस्थागत मृत्यु के कारणो का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र की (MCCD) Medical certification of cause of death वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है।

प्रशिक्षण शाखा

वर्ष 2022–23 में कोविड़–19 महामारी होने से सभी प्रशिक्षण संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त नही होने के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसी भी अधिकारी/कर्मचारियों को नामांकित नही किया जा सका है।

भाग-दो

बजट विहंगावलोकन :–

संचालनालय को आलोच्य वर्ष 2022–23 में सांख्यिकी गतिविधियों के संचालन हेतु योजनांतर्गत निम्नानुसार आबंटन प्राप्त हुआ है।

(राशि रू. हजार में)

योजना शीर्ष	वर्ष 2022–23 वास्तविक व्यय (दिसम्बर 2022)	वर्ष 2022–23 पुनरीक्षित प्रस्ताव
1	2	3
1430 – जन्म–मृत्यु संबंधी आंकड़ों का संकलन	18823	41570
0512 – नमूना सर्वेक्षण	11061	20570
8048 – आर्थिक एव सांख्यिकी संचालनालय	192306	310002
6562 – जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का प्रभावी कियान्वयन	52	810
6564 – संभागीय एवं जिला सांख्यिकी क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण	25	1480
6293 – सांख्यिकी अमले का प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	340
7604 – भवन सांख्यिकी सर्वेक्षण	0	160
योग	**222268**	**374932**
2987 – बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन	16385	38525
योग	**16385**	**38525**

भाग-तीन

केन्द्र सरकार से RTGS के माध्यम से सीधे संचालनालय के बैंक खाता में प्राप्त राशि में से व्यय राशि का विवरण –

(राशि रू. हजार में)

योजना शीर्ष	वर्ष 2022–23 वास्तविक व्यय (दिसम्बर 2022)	वर्ष 2022–23 पुनरीक्षित प्रस्ताव
1	2	3
राज्य – आयोजना		
7413 – सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण सहायता योजना	4754.49	0
7604 – भवन सांख्यिकी सर्वेक्षण	2723.000	4100.00
योग	8362.536	4100.00

भाग-चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

निरंक

भाग-पांच

अभिनव योजनाएँ

निरंक

भाग-छः

प्रकाशन

आलोच्य अवधि में प्रकाशित प्रकाशनों का परिचयात्मक विवरण निम्नानुसार हैः–

1. आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022–23

विभागीय जानकारी के आधार पर ''छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23'' तैयार किया जा रहा हैं, जो कि विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जावेगा। इस प्रकाशन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र विकास, जल संसाधन, परिवहन संसाधन, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी विकास के साथ ही सामाजिक विषयों से संबद्ध क्षेत्रों में अभिज्ञापित उपलब्धियों का उल्लेख राज्य के संदर्भ में किया गया है।

2. छत्तीसगढ़ के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2011–12 से 2021–22(अ)

इस प्रकाशन में राज्य के घरेलू उत्पाद के अनुमान–सकल/निवल (प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) संचालनालय द्वारा तैयार कर प्रकाशित किये गये, जिसमें प्रति व्यक्ति आय (सकल/निवल–प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) का भी आकलन प्रस्तुत किया गया है।

3. छत्तीसगढ़ राज्य के बजट का आर्थिक एवं उददेश्यवार वर्गीकरण वर्ष 2019–20(लेखा) वर्ष 2020–21 (पुनरीक्षित) एवं वर्ष 2021–22 (बजट अनुमान)

इस प्रकाशन में उद्देश्य के अनुसार वित्तीय प्रावधान एवं उसके सापेक्ष परिव्यय का उल्लेख किया जाता है।

4. छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप वर्ष 2021–22.

इस प्रकाशन में छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित सामाजार्थिक विकास के संकेतांक संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़ो को राज्य स्तर पर जिलेवार तालिकाओं में प्रकाशित किया गया है।

5. छत्तीसगढ़ एक दृष्टि मे वर्ष 2022

इस प्रकाशन में प्रशासनिक, कृषि ग्रामीण एवं विकास, जल, परिवहन एवं सामाजिक विषयों से संबंधित प्रमुख संकेतांको के आधार पर आकड़े प्रस्तुत किये गये है, जिसमें राज्य के विकास की अवधारणा का प्रबोधन किया गया है।

6. अधिनियम के कार्यकरण पर वार्षिक रिपोर्ट– 2021

राज्य से संबंधित वर्ष में पंजीयन की प्रगति के लिये किये गए प्रयास एवं उसके आधार पर प्रगति का विश्लेषण किया जाता है।

7. राज्य में होने वाले प्रत्येक जन्म–मृत्यु की घटनाओं के पंजीयन का वार्षिक जीवनांक सांख्यिकी प्रतिवेदन– 2021.

जन्म एवं मृत्यु से सम्बंधित आकड़ो का राज्य के समस्त पंजीयन इकाइयों से संकलन एवं विश्लेषणात्मक सारणी तैयार कर राज्य शासन एवं भारत के महारजिस्टार को प्रेषित की जाती है।

8. राज्य में होने वाले संस्थागत एवं गैर–संस्थागत मृत्यु के कारणों का चिकित्सकीय प्रमाणीकरण (Medical Certification of Cause of Death - MCCD) की वार्षिक रिपोर्ट–2021.

राज्य में होने वाले मृत्यु का वर्गीकरण एवं उनका क्षेत्रवार वितरण की जानकारी जिसका उपयोग स्वास्थ्य से संबंधित योजना तैयार करने में किया जा सकता है।

भाग-सात

सारांश

राज्य में सामाजिक–आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सांख्यिकीय डेटा के व्यवस्थित संग्रह, वैज्ञानिक विश्लेषण करना है ताकि विकासशील अर्थव्यवस्था की एक व्यापक, समन्वित तस्वीर तैयार की जा सके। राज्य में विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय कर और सरकार की विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण सांख्यिकीय डेटा प्रदान करना भी निदेशालय की एक प्रमुख जिम्मेदारी है।

परिशिष्ट–एक

मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के स्वीकृत एवं भरे पदों की जानकारी (01.01.2023 की स्थिति में)

क्र.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद			भरे हुए पद			रिक्त पद		
		मुख्यालय	जिला	योग	मुख्यालय	जिला	योग	मुख्यालय	जिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	प्रथम श्रेणी									
1	आयुक्त सह संचालक	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	अपर संचालक	1	0	1	0	0	0	1	0	1
3	संयुक्त संचालक	3	0	3	1	0	1	2	0	2
4	उप संचालक	3	28	31	3	13	16	0	15	15
		8	**28**	**36**	**5**	**13**	**18**	**3**	**15**	**18**
	द्वितीय श्रेणी									
1	सहायक संचालक योजना/सांख्यिकी	13	55	68	4	38	42	**9**	**17**	**26**
	तृतीय श्रेणी									
1	सहा.प्रोग्रामर	1	0	1	0	0	0	1	0	1
2	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	36	123	159	26	85	111	10	38	48
3	अन्वेषक/खण्ड स्तर अन्वेषक	14	165	179	9	35	44	5	130	135
4	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	6	55	61	6	30	36	0	25	25
5	अधीक्षक	1	0	1	0	1	1	0	0	0
6	निज सहायक	1	0	1	1	0	1	0	0	0
7	शीघ्रलेखक	1	0	1	0	0	0	1	0	1
8	स्टेनोटायपिस्ट	4	18	22	0	0	0	4	18	22
9	कनिष्ठ लेखाधिकारी	1	0	1	0	0	0	1	0	1
10	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	1	0	1	0	0	0	1	0	1
11	सहायक ग्रेड–1	4	7	11	2	8	10	2	-1	1
12	सहायक ग्रेड–2	5	28	33	3	13	16	2	15	17
13	सहायक ग्रेड–3	20	62	82	2	18	20	18	44	62
14	वाहन चालक(नियमित)	5	7	12	2	3	5	3	4	7
15	सीधी भर्ती से स्वीकृत पदों की पूर्ति कले.दर से	0	0	0	2	2	4	0	0	0
16	वाहन चालक (आकस्मिकता निधि अंतर्गत कले.दर पर भर्ती)	3	21	24	3	12	15	0	9	9
		103	**486**	**589**	**56**	**207**	**263**	**47**	**279**	**326**
	चतुर्थ श्रेणी									
1	जमादार	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	भृत्य (नियमित)	15	61	76	4	26	30	11	35	46
3	भृत्य (नियमित) पद के विरूद्ध कले.दर के माध्यम से भरे पद	0	0	0	7	0	7	0	0	0
4	भृत्य (आकस्मिकता निधि)	0	1	1	0	0	0	0	1	1
5	चौकीदार	2	0	2	2	0	2	0	0	0
6	स्वीपर/फर्राश/वाटरमैन (कले.दर)	5	37	42	5	30	35	0	7	7
		23	**99**	**122**	**19**	**56**	**75**	**4**	**43**	**47**
	कुल योग	**147**	**668**	**815**	**84**	**314**	**398**	**63**	**354**	**417**

परिशिष्ट–दो

संचालनालय के संभाग एवं निष्पादित कार्यविवरण

1- I. जिला सांख्यिकी तंत्र	1. जिलों का तकनीकी मार्गदर्शन एवं निरीक्षण 2. जिले की प्रकाशनों की समीक्षा एवं दिशा–निर्देश 3. तकनीकी कार्यों की अर्धवार्षिक/वार्षिक समीक्षा
II. सांख्यिकी समन्वय एवं प्रशिक्षण	1. राज्य के समस्त विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों की समीक्षा, मार्गदर्शन 2. विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण
2- I. सामाजिक एवं आर्थिक विश्लेषण .	1. प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन गणना 2. आर्थिक सर्वेक्षण 3. छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में 4. छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप
II. प्रकाशन/ पुस्तकालय	1. राज्य स्तरीय प्रकाशनों का प्रकाशन 2. पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का क्रय, एवं विभागीय प्रकाशनों का वितरण एवं संधारण
3- I. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण	1. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य का सर्वेक्षण, सारणीयन एवं प्रतिवेदन
II. अन्य सर्वेक्षण एवं गणनाएं	1. सातवी आर्थिक गणना
4- I. राज्यीय आय	1. राज्य/जिला स्तरीय घरेलू उत्पाद के अनुमान
II. लोक वित्त एवं बजट विश्लेषण	1. राज्य एवं स्थानीय निकायों के आय व्ययक का आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण करना 2. राज्य शासन की वार्षिक बजट के आधार पर छत्तीसगढ़ आय–व्ययक संक्षेप में तैयार करना
III. बाजार समाचार	1. थोक/फूटकर मूल्यों का संकलन/समीक्षा
IV. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय कोलकाता द्वारा आबंटित औद्योगिक इकाईयों का वार्षिक सर्वेक्षण करना
V. औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली द्वारा आबंटित औद्योगिक इकाईयों से मासिक उत्पादन की जानकारी प्राप्त कर सूचकांक तैयार करना

5-I. औद्योगिक, खनिज, एवं विद्युत उत्पादन के सूचकांक सांख्यिकी	1. औद्योगिक, खनिज, एवं विद्युत सांख्यिकी
II. भवन एवं गृह निर्माण सांख्यिकी	1 गृह एवं भवन निर्माण सांख्यिकी 2. इमारती सामान के थोक भावों की जानकारी 3 आपदा प्रबंधन सांख्यिकी संकलन
6. जीवनांक सांख्यिकी	1. जन्म–मृत्यु पंजीयन प्रणाली का संचालन, पर्यवेक्षण निरीक्षण एवं समीक्षा 2. वार्षिक जीवनांक प्रतिवेदन 3. जन्म– मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के कार्यकरण पर वार्षिक प्रतिवेदन 4. मृत्यु के कारणों का चिकित्सा आधार पर वर्गीकरण एवं प्रतिवेदन
7. बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना	1. संबंधित विभागों से प्रगति का त्रैमासिक संकलन, संधारण एवं संप्रेषण 2. केन्द्र द्वारा की गई समीक्षा की अनुवर्तन कार्यवाही
8.I. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	1. मासिक/त्रैमासिक समीक्षा 2. बैठक आयोजित करना एवं निर्देश प्रसारित करना
II. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	1. मासिक/त्रैमासिक समीक्षा करना 2. जिला स्तर पर आ रही कठिनाइयों का निराकरण कर दिशानिर्देश /मार्गदर्शन देना 3. योजनांतर्गत अंकेक्षण, मॉनिटरिंग करना
9. I. प्रशासन	1. प्रशासन, स्थापना, लेखा एवं लेखा परीक्षण तथा बजट प्रस्ताव तैयार करना ।
II. सूचना का अधिकार	1. प्रभावी अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयावधि में निराकरण एवं प्रतिवेदन ।

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़

भाग-एक

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति (National Institute for Transforming India-NITI) आयोग की स्थापना हो जाने से राज्यों के योजना आयोग/मण्डलों की भूमिका में भी परिवर्तन आया है। हमारे राज्य में भी राज्य योजना आयोग, राज्य शाासन के लिये 'थिंक टैंक' (Think Tank) के रूप कार्य कर रहा है।

आयोग का गठन, नाम परिवर्तन एवं पुर्नगठन

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आदेश दिनांक 10 जनवरी, 2001 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में राज्य योजना मंडल का गठन किया गया था। योजना मंडल में राज्य शासन के विभिन्न विभागों यथाः वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, जनजाति विकास, जल संसाधन विभागों के सचिवों को सदस्य बनाया गया था। राज्य योजना आयोग को योजना की प्राथमिकता निश्चित करना, जिलों के उन क्षेत्रों में जिनमें विकास योजनाएं तैयार करना राज्य की योजना के ढांचे के अंदर उपयोगी माना जाए, ऐसी योजनाएं बनाने में जिला अधिकारियों की सहायता करना, उन कारणों का पता लगाना जिनमें राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में रूकावटें आती हों और राज्य में, व्याप्त क्षेत्र में, असंतुलन को दूर करने के उपाय सुझाना तथा योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा/पुनर्विलोकन करना तथा नीतियों और उपायों में ऐसे समायोजनों की सिफारिश करना जो जरुरी हो, दायित्व सौंपा गया था।

12 अगस्त, 2010 को राज्य योजना मंडल का नाम परिवर्तन कर राज्य योजना आयोग किया गया

पुनः 07 जनवरी, 2020 को 'राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़' का पुर्नगठन करते हुए राज्य शासन द्वारा आयोग की संरचना में आंशिक परिवर्तन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को आयोग के अध्यक्ष, एक पूर्णकालिक उपाध्यक्ष, माननीय योजना मंत्री जी पदेन

सदस्य के साथ राज्य मंत्रीपरिषद से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 3 पदेन सदस्य मनोनीत किये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 1 पूर्णकालीन सदस्य, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र, अर्थशास्त्र से अधिकतम 3 लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति को अशासकीय सदस्य तथा अधिकतम 2 अंशकालीन सदस्य, राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों एवं अन्य प्रासंगिक संस्थाओं से एक वर्ष के चक्रीय आधार पर पदेन सदस्य के रूप में राज्य शासन द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, भारसाधक सचिव, वित्त/योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/नगरीय प्रशासन एवं विकास/कृषि विज्ञान एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी तथा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को स्थाई आमंत्रित के रूप में रखे जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य शासन द्वारा सचिव स्तरीय अधिकारी को पूर्णकालिक सदस्य सचिव पदस्थ करने का भी प्रावधान किया गया है।

आयोग के दायित्व

राज्य योजना आयोग के पुर्नगठन के साथ साथ आयोग के दायित्वों का भी निर्धारण किया गया है, जो निम्नानुसार हैः—

- राज्य के आर्थिक एवं मानव संसाधनों का मूल्यांकन कर उनके सर्वाधिक प्रभावी उपयोग एवं राज्य के समस्त क्षेत्रों के संतुलित विकास के उपाय सुझाना।
- सतत् संपोषणीय विकास (SDG) तथा ''जन घोषणा पत्र'' के उद्देश्यों एवं ''इंटर—जनरेशन इक्विटी'' के सिद्धांत को केन्द्र में रखकर योजना निर्माण के संदर्भ में विभागों को सुझाव देना।
- विकेन्द्रीकृत योजना (Decentralized Planning) निर्माण, समीक्षा एवं इन योजनाओं के आधार पर संसाधन वितरण की प्राथमिकता निर्धारण करने के लिए राज्य शासन को समय—समय पर सुझाव देना।
- शासन द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की आवश्यकतानुसार समीक्षा एवं मूल्यांकन (Evaluation) करना तथा उनमें सुधार के संबंध में शासन को सुझाव देना।

- विभिन्न सेक्टर्स में राज्य के विकास के लिए उपयोगी निदानात्मक/विश्लेशणात्मक अध्ययन प्रायोजित करना एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल पाई गई नीतियों व Best Practices का अध्ययन कर राज्य में लागू किये जाने के संदर्भ में राय देना।
- नवाचारों का अध्ययन कर प्रोत्साहित करने हेतु शासन को सुझाव देना।
- शासन एवं शासनेत्तर विषयों पर राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनायी जा रही नीतियों का अध्ययन करना व राज्य के लिए नीति नेतृत्व (Policy Lead) प्रदान करते हुए थिंक टैंक के रूप में कार्य करना।
- समय–समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अध्यक्ष, राज्य योजना आयोग द्वारा प्रदत्त अन्य कार्यों को संपादित करना।

आयोग की कार्यप्रणाली

राज्य योजना आयोग द्वारा समकालीन अनुसंधानों, नवप्रवर्तनों, सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों (Best Practices) की जानकारी प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय परिदृष्य एवं प्रदेश के संदर्भ में उनकी उपयोगिता की संभावना पर विचार करने के लिये विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर बैठकों का आयोजन, गोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं कॉनक्लेव आदि का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ–साथ केन्द्र सरकार, स्थानीय शासकीय अधिकारियों एवं अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की सहभागिता भी रहती है। कॉनक्लेव इत्यादि में विचार–विमर्श उपरांत सहमत बिन्दुओं पर अनुशंसाएँ राज्य शासन को प्रेषित की जाती हैं।

आयोग द्वारा संपादित गतिविधियां –

सामाजिक, आर्थिक विकास एवं राज्य के नीति निर्धारण से संबंधित विषयों पर, राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा विगत वर्ष में की गई गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है :–

राज्य के उच्च शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों के साथ एम.ओ.यू.

राज्य योजना आयोग, राज्य शासन के द्वारा आयोग को सौंपे गए दायित्वों के अनुसार राज्य के लिए नीति नेतृत्व प्रदान करते हुए 'थिंक टैंक' के रुप में कार्य करता है। आयोग विशिष्ट विषयों पर राज्य शासन के विभागों को सुझाव देने के साथ साथ नीति प्रारुप तैयार करने में उन्हें सहयोग प्रदान करने का कार्य करता रहा है।

राज्य योजना आयोग को सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन और विश्वविद्यालयों / उच्च 'शैक्षणिक संस्थानों के अकादमिक, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान, अनुभव, मानव संसाधनों के राज्य हित में बेहतर उपयोग किये जाने के उद्देश्य से राज्य योजना आयोग द्वारा निम्न विश्वविद्यालयों / उच्च 'शैक्षणिक संस्थानों के साथ दिनांक 25.05.2021 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किए गए हैंः—

- डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, (IIIT) नवा रायपुर
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) भिलाई
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, (AIIMS) रायपुर
- भारतीय प्रबंधन संस्थान, (IIM) नवा रायपुर अटल नगर
- हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
- इंदिरा कला संगीत वि.वि. खैरागढ़
- पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि.रायपुर
- पं. दीनदयान उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष वि.वि. रायपुर
- छ.ग. कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग
- छ.ग. स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई
- पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय,, छ.ग. बिलासपुर
- बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
- इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर
- अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर
- हेमचन्द यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग
- कुशाभाई ठाकरे पत्राकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर

- संत गाहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा गैर शासकीय संस्थाओं के साथ गैर वित्तीय एम.ओ.यू.
- ट्रांसफारमिंग रूरल इंडिया फाऊण्डेशन दिनांक 08.02.2022
- फाऊण्डेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी 16.12.2021
- क्लब ऑफ रोम दिनांक 30.06.2022
- सोसायटी फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स 30.06.2022
- टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड पुणे दिनांक 01.01.2022

राज्य योजना आयोग एवं ट्रांसफारमिंग रूरल इंडिया फॉऊण्डेशन के मध्य दिनांक 08.02.2022 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया। एम.ओ.यू का मुख्य उद्देश्य राज्य की फ्लैगशिप योजनाओं में तकनीकी व नीतिगत सहायता प्राप्त कर योजनाओं के सुदृढ़ीकरण द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता, कुपोषण व जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं का प्रभावी समाधान तलाशना है। राज्य योजना आयोग एवं फाऊण्डेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी 16.12.2021 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों विशेष कर सामुदायिक वन, चारागाह और जल निकायों के प्रबंधन संबंधित नीति व उससे संबंधित कार्यक्रमों में सुधार हेतु सहयोग प्राप्त करना है।

राज्य योजना आयोग एवं क्लब ऑफ रोम दिनांक 30.06.2022 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया। एम.ओ.यू. को मुख्य उद्देश्य सहभागी प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों, जिसमें सतत विकास और संसाधन दक्षता के लिये प्रौद्योगिकीया शामिल है। तथा राज्य शासन के विभागों के विकास कार्यक्रमों से जुड़ी स्थायी आजीविका और ज्ञान निर्माण के विकास के लिये प्रभावी, कुशल और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य संस्थानों की स्थापना के लिये सामुदायिक गतिशीलता और संस्थागत विकास हेतु सहायता प्राप्त करना है।

राज्य योजना आयोग एवं सोसायटी फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स 30.06.2022 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों को टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने एवं राज्य योजना आयोग के मध्य दिनांक 01.10.2022 को एम.ओ.यू. को हस्ताक्षरित किया गया है।

राज्य के समस्त क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए उपाय सुझाने प्रासंगिक विषयों पर टास्कफोर्स व वर्किंग ग्रुप्स का गठन

राज्य योजना आयोग के निर्धारित दायित्वों में 'राज्य के आर्थिक एवं मानव संसाधनों का मूल्यांकन कर उनके सर्वाधिक प्रभावी उपयोग एवं राज्य के समस्त क्षेत्रों के संतुलित विकास के उपाय सुझाना' शामिल है। उक्त दायित्व के निर्वहन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन से समन्वय में अनुमोदन उपरांत राज्य योजना आयोग द्वारा राज्य के समस्त क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए उपाय सुझाने प्रासंगिक विषयों पर कार्यदलों (टॉस्क फोर्स) व उनके अंतर्गत कार्यसमूहों (वर्किंग ग्रुप) का गठन किया गया है। टास्कफोर्स व वर्किंग ग्रुप्स में देश एवं प्रदेश के लब्धप्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में एवं संबंधित विभागों से नामांकित अधिकारियों को भी संयोजक के रूप में शामिल किया गया है एवं उनकी संदर्भ शर्तें भी निर्धारित की गयी हैं। राज्य योजना आयोग द्वारा निम्न विषयों पर टास्कफोर्सेस का गठन किया गया हैः—

1. कृषि, जल संवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण एवं संबद्ध क्षेत्र
2. आदिवासी विकास, वन एवं वन्य जीव प्रबंधन, लघु वनोपज प्रबंधन
3. स्कूली शिक्षा,
4. उच्च शिक्षा,
5. स्वास्थ्य, पोषण एवं खाद्य सुरक्षा
6. उद्योग, ग्रामोद्योग कौशल विकास, उच्च व तकनीकी शिक्षा, तथा रोजगार
7. सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण, श्रमिक कल्याण
8. कला, पर्यटन, पुरातत्व एवं संस्कृति संवर्धन
9. खेल एवं युवा कल्याण
10. वित्तीय संसाधन विस्तार एवं प्रबंधन
11. शहरी विकास एवं प्रबंधन
12. ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन
13. पर्यावरण प्रबंधन
14. सहभागी लोकतंत्र एवं विकेंद्रीकृत योजना निर्माण

टास्कफोर्स एवं वर्किंग ग्रुप्स के सदस्यों के विचार–विमर्श उपरांत प्राप्त संस्तुतियों को सम्मिलित कर तैयार किए प्रतिवेदनों को संबंधित विभागों को उनके उपयोग/क्रियान्वयन हेतु प्रेषित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

विकासात्मक शोध एवं अध्ययन–

राज्य योजना आयोग द्वारा राज्य हेतु प्रासंगिक एवं विकासोन्मुखी विषयों पर शैक्षणिक संस्थाओं के शिक्षकगण, छात्रगण/अनुसंधानकर्ताओं एवं शासकीय/निजी संस्थाओं से विकासात्मक शोध एवं अध्ययन के प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त शोध/अध्ययन प्रस्तावों को परीक्षण उपरांत स्वीकृति देने के लिए शोध एवं मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभिन्न विषयों से संबंधित 09 शोध/अध्ययन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। चालू वर्ष 2022–23 में कुल 77 प्रस्ताव विभिन्न शैक्षणिक एवं शोध संस्थाओं से प्राप्त किये गये हैं जिसमें से 04 प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की गई है। तथा शेष प्रस्तावों के प्रशिक्षण की कार्यवाही प्रगति पर है।

सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति हेतु योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिये राज्य योजना आयोग द्वारा प्रभावी ''फ्रेमवर्क'' व ''एस.डी.जी. डैशबोर्ड'' का निर्धारण–

1. वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र की 70वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में ''अन्त्योदय'' के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुये अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का निर्धारण किया गया था। इन एस.डी.जी. लक्ष्यो को वर्श 2030 तक प्राप्त करने हेतु देश व प्रदेश प्रतिबद्ध है। सतत् विकास लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरण से संबंधित विकास को सुनिश्चित करते है। एसडीजी वैश्विक लक्ष्य हैं जिन्हें स्थानीय स्तर पर हासिल करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ राज्य भी एसडीजी की समयबद्ध प्राप्ति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी का गढ़बो नवा छत्तीसगढ और जन घोषणा पत्र का आहवान सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सार को दर्शाता है।

2. एसडीजी लक्ष्य की प्राप्ति एक दृढ मैराथन है जहां सफलता केवल साक्ष्य–आधारित योजना, कार्यान्वयन, निगरानी, निरंतर सुधार और कमियों की पहचान करने वाले संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है।

3. सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये फ्रेमवर्क निर्धारण का कार्य राज्य योजना आयोग द्वारा किया जा रहा है। राज्य स्तर पर एसडीजी पर हुई प्रगति की निगरानी के लिए राज्य योजना आयोग द्वारा कई पहल की गई हैं। इस प्रयास में, राज्य स्तर पर एसडीजी प्रगति को मापने के लिए राज्य योजना आयोग ने मजबूत निगरानी ढांचा– छत्तीसगढ़ एसडीजी संकेतक फ्रेमवर्क (सीजी–एसआईएफ) तथा उस पर आधारित ''प्रोग्रेस रिपोर्ट'' तैयार किया है जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 12/07/2021 को जारी किया गया। एसडीजी के जिला स्तर तक स्थानीयकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग ने जिला कलेक्टरों सहित सभी हितधारकों के परामर्श से छत्तीसगढ़ एसडीजी जिला संकेतक फ्रेमवर्क (सीजी–डीआईएफ) भी विकसित किया है जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 20/08/2022 को विमोचित किया गया। छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (सीजी–डीआईएफ) का उपयोग जिला स्तर पर एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने, प्रगति को ट्रैक जिलों के लिए वर्तमान विकासात्मक चुनौतियों को मापने में मदद करेगा तथा समावेशी एवं सतत विकास सुनिश्चित करने की दिशा में अग्रसर होगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क एवं डिस्ट्रिक्ट

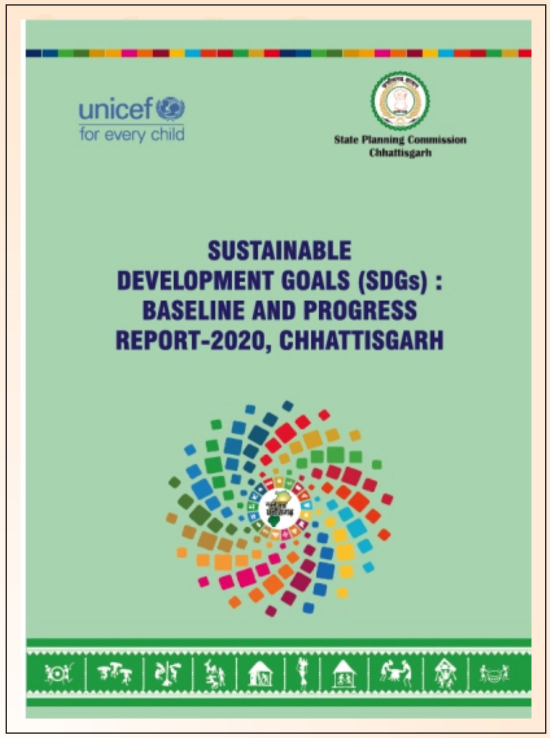

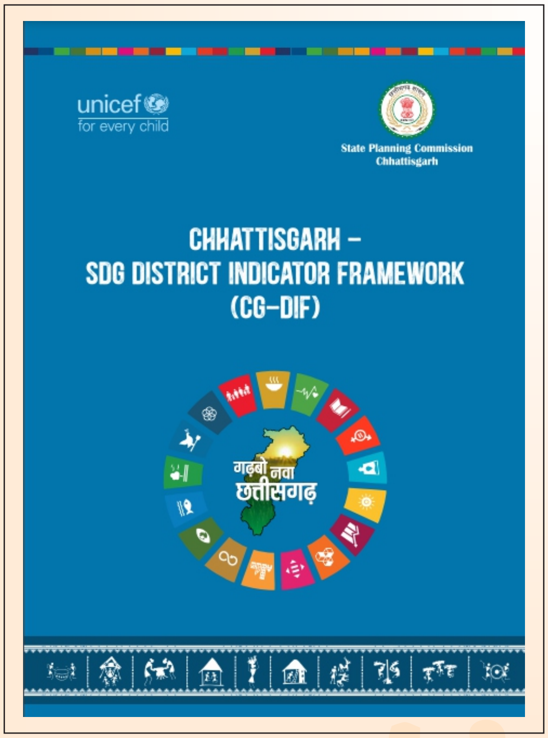

स्टेट व डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क संबंधित पुस्तिका

4. आयोग ने अब एक कदम और बढ़ाते हुए सीजी–डीआईएफ पर आधारित **''छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2021''** तैयार की है। राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार की गई **''छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट''** में प्रत्येक जिले को 'स्कोर' एवं 'रैंकिंग' प्रदान की गई है। इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को ''एस.डी.जी. डैशबोर्ड'' के माध्यम से भी दर्शाया गया है। एस.डी.जी. डैशबोर्ड न केवल एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पथ प्रदर्शक व एक ''टूल'' का कार्य करेगा अपितु समस्त जिलो के जिलाधीशो को प्रगति बाधक चिन्हित क्षेत्रो की पहचान कर साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में भी मदद करेगा। इस फ्रेमवर्क के उपयोग से प्रत्येक जिला अपनी स्थानीय क्रियान्वयन प्रतिबद्धता की पहचान कर अपने हितधारकों के बहुमुखी विकास सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेंगे।

डी.आई.एफ. आधारित प्रोग्रेस रिपोर्ट

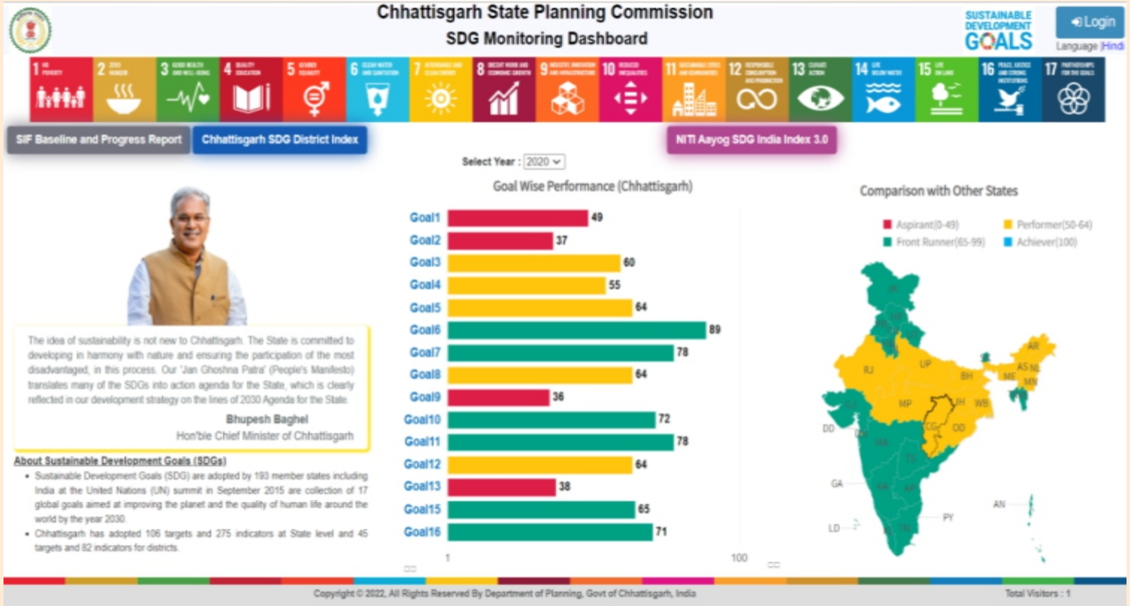

एस.डी.जी. डैशबोर्ड का इंटरफेस

5. राज्य में सतत विकास लक्ष्य के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य योजना आयोग को गवर्नेंस के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ''स्कोच आर्डर ऑफ मेरिट'' "(SKOCH ORDER OF MERIT)" पुरस्कार से भी दिनांक 22 नवम्बर, 2022 को सम्मानित किया गया है।

6. सतत् विकास लक्ष्यों हेतु तैयार किये गये ''फ्रेमवर्क'' व ''एस.डी.जी. डैशबोर्ड को विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों के मॉनिटरिंग हेतु प्रभावी रूप से उपयोग करने के संबंध में समस्त स्टेकहोल्डरो का उन्मुखीकरण भी किया गया है।

डी.आई.एफ. एवं एस.डी.जी. डैशबोर्ड के संबंध में संभाग स्तरीय

सतत् विकास लक्ष्य की प्रगति के राज्य एवं जिला स्तर पर समीक्षा हेतु ढॉचागत व्यवस्था –

सतत विकास लक्ष्य अंतर्गत प्रगति के अनुश्रवण व अनुशीलन हेतु ढॉचागत राज्य में एस.डी.जी. प्रगति की नियमित समीक्षा व्यवस्था की सुनिश्चितता हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निम्नानुसार तीन समितियों के गठन संबंधी आदेश दिनांक 23 जनवरी 2021 को जारी किये गये हैं–

(1) राज्य स्तरीय एसडीजी संचालन समिति (State Level Steering Committee on SDG') –.माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में

(2) राज्य स्तरीय एसडीजी क्रियान्वयन एवं निगरानी समिति (State Level Implementation & Monitoring Committee on SDG's) – मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में

(3) जिला स्तरीय एसडीजी क्रियान्वयन एवं निगरानी समिति (District Level Implementation & Monitoring Committee on SDG's) –. जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में

नवाचार प्रोत्साहन –

राज्य में नवाचार एवं उद्यमिता विकास की संभावनाओं को प्रोत्साहित करने तथा नवप्रवर्तकों की बौद्धिक संपदा को संरक्षित करने के उद्देश्य से आयोग द्वारा राज्य में नवाचार एवं उद्यमिता विकास हेतु दिशा–निर्देश तैयार कर जारी किया गया है। प्रदेश में ऐसे नवाचारों को जिनकी पहचान एवं उपयोगिता समाज हित में है तथा इससे निकलने वाली संभावनाओं को प्रोत्साहित करने तथा उद्यमिता विकास के द्वारा जिसे आगे वाणिज्यक पैमाने पर बढ़ाये जाने की संभावना विद्यमान हो, उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोग द्वारा नवाचार हेतु प्रस्तावों को आमंत्रित किया गया है। इसके अंतर्गत नवाचार हेतु अनुदान देने, उन्हें विज्ञान सम्मत बनाए जाने, मूल्य संवर्धन, प्रोटोटाइप विकास और वाणिज्यिक पैमाने पर बढ़ावा देने आदि हेतु सहायता उपलब्ध कराये जाने की योजना है।

जिला योजना का सुदृढ़ीकरण –

भारतीय संविधान की धारा 243ZD में स्थानीय शासन की ईकाईयों (ग्रामीण एवं नगरीय) द्वारा विकेन्द्रीकृत नियोजन किये जाने के प्रावधान उल्लेखित किये गये हैं। राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ के द्वारा राज्य के सभी जिलों में ''जिला योजना'' तैयार करने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है। सभी जिलों द्वारा जिले के स्थिति विश्लेषण के साथ, सात क्षेत्रकों, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, अधोसंरचना, ऊर्जा प्रबंधन, नागरिक अधिकार संरक्षण एवं सशाक्तिकरण के बिन्दुओं पर जिला योजना तैयार की जाती है। सतत् विकास लक्ष्य आधारित विकेन्द्रीकृत जिला योजना मार्गदर्शिका तैयार किया गया है, जिसके अनुरूप जिलों की जिला योजना का प्रारूप तैयार कराया जा रहा है।

भाग-दो

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ का बजटीय प्रस्ताव 2022–23

(राशि लाख रूपयों में)

क्र.	योजना शीर्ष एवं क्रमांक	स्वीकृत बजट वर्ष 2022–23	पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2022–23	वर्ष 2022–23 का माह दिसम्बर 2022 तक वास्तविक व्यय	बजट अनुमान 2023–24	वित्त विभाग द्वारा पारित वर्ष 2023–24
1	2	3	4	5	6	7
मांग संख्या–31, मुख्य लेखा शीर्ष –3451						
	3686– राज्य योजना आयोग (आयोजनेत्तर)	618.90 0.20	618.90 0.20	341.34 -	720.30 0.20	720.30 0.20
	योग	**618.90**	**618.90**	**341.34**	**720.30**	**720.30**
	6474– नवाचारों का बौद्विक संपदा अधिकार	200.00	200.00	00.16	200.00	200.00
	7639– राज्य योजना का सुदृढ़ीकरण, मूल्यांकन एवं अनुसंधान	841.00	841.00	46.17	841.00	841.00
	योग	**1041.00**	**1041.00**	**46.33**	**1041.00**	**1041.00**
मांग संख्या–60 मुख्य लेखा शीर्ष – 3451						
	7282– जिला योजना का सुदृढ़ीकरण (आयोजना)	65.00	65.00	8.69	65.00	65.00
	योग	**65.00**	**65.00**	**8.69**	**65.00**	**65.00**

भाग-तीन

राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना – निरंक

भाग-चार

सामान्य प्रशासनिक विषय – निरंक

भाग-पांच

निरंक

भाग-छः

प्रकाशन

सतत् विकास लक्ष्यों से संबंधित पुस्तिकाओं का प्रकाशन

1. एस.डी.जी. स्टेट इन्डिकेटर फ्रेमवर्क
2. एस.डी.जी. डिस्ट्रीक्ट इण्डिकेटर फ्रेमवर्क
3. बेसलाईन प्रोग्रेस रिपोर्ट 2020

टास्कफोर्स के प्रतिवेदनों का प्रकाशन

राज्य योजना आयोग द्वारा राज्य के संतुलित विकास के लिए चयनित विषयों पर टास्क फोर्सेस व वर्किंग ग्रुप्स का गठन कर राज्य हेतु अत्यंत उपयोगी अनुशंसाओं का संकलन विभागो के उपयोग हेतु किया गया है। राज्य योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्सेस में से निम्न 7 टास्कफोर्सेस द्वारा अपनी अनुसंशाएं आयोग कार्यालय को सौंपी गयी हैं, जिन्हें प्रतिवेदन के रुप में दिया जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को दिनांक 20 अगस्त 2022 को सौंपा गया। इन अनुशंसाओं को विचार उपरांत संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

1. कृषि, जल संवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास पर गठित टास्क फोर्स
2. स्वास्थ्य, पोषण एवं खाद्य सुरक्षा' पर गठित टास्क फोर्स
3. छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा टास्क फोर्स पर गठित टास्क फोर्स
4. उद्योग, ग्रामोद्योग कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, तथा रोजगार पर गठित टास्क फोर्स
5. शहरी विकास एवं प्रबंधन पर गठित टास्क फोर्स
6. पर्यावरण प्रबंधन पर गठित टास्क फोर्स
7. वित्तीय प्रबंधन पर गठित टास्क फोर्स

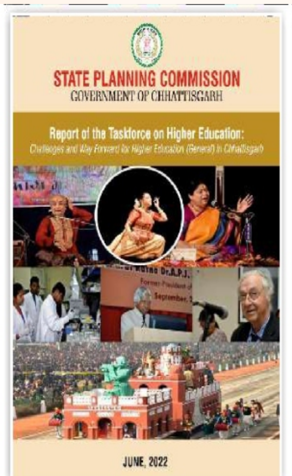

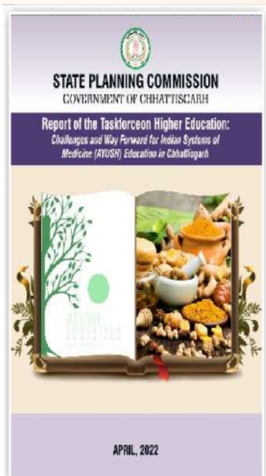

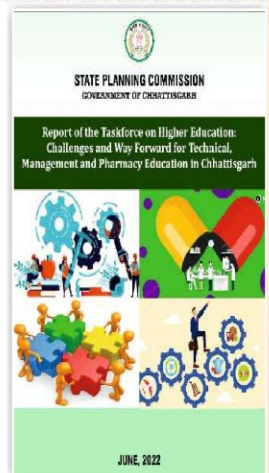

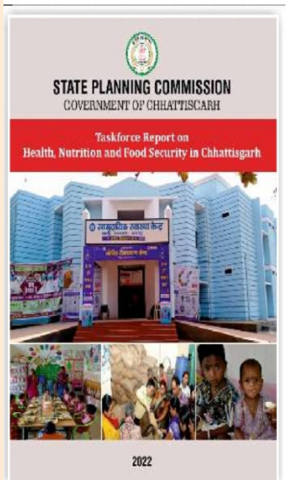

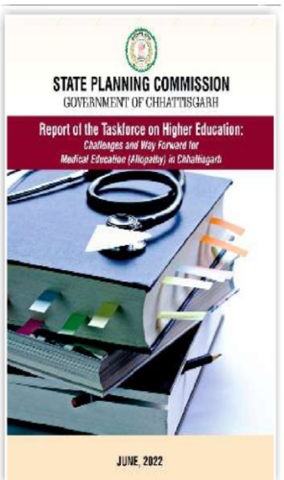

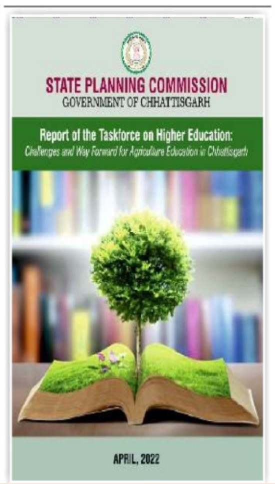

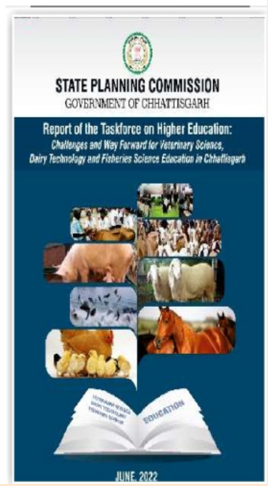

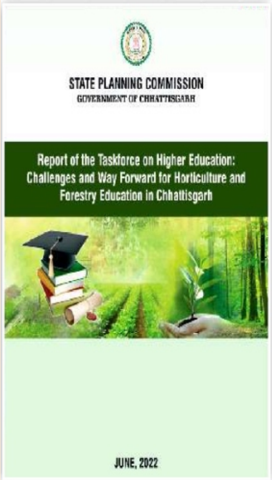

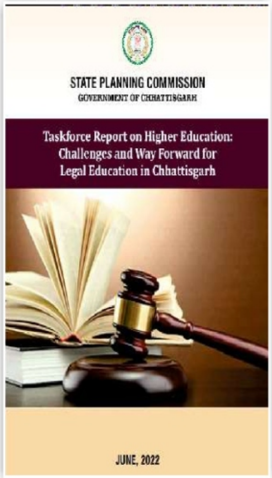

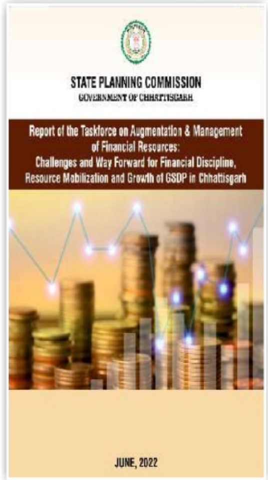

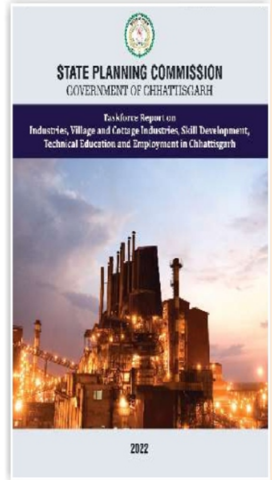

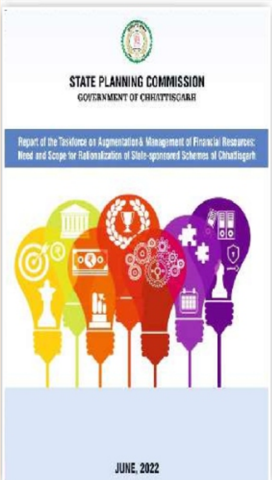

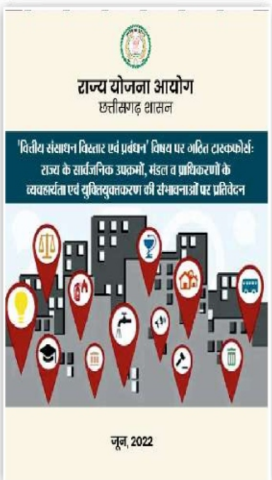

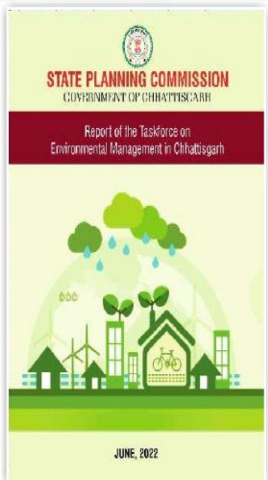

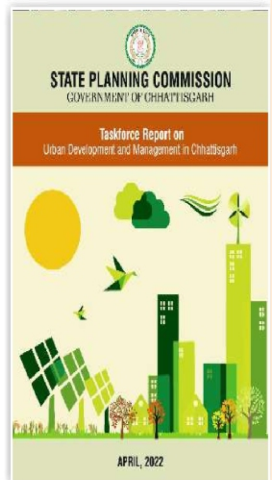

राज्य योजना आयोग का न्यूज लेटर ''दिशा'' का प्रकाशन

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ विभिन्न विभागों के लिए बहु–स्तरीय एवं दीर्घकालिक नीति बनाने एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने में योगदान दे रहा है। आयोग द्वारा अपनी इन गतिविधियों को सर्व संबंधित से साझा करने के लिए ''दिशा'' न्यूज लेटर का प्रकाशन आरंभ किया गया है। राज्य योजना आयोग द्वारा 'दिशा' न्यूजलेटर के तीन अंक प्रकाशित किए गए हैं। 'दिशा' का तृतीय अंक का खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर केन्द्रित है।

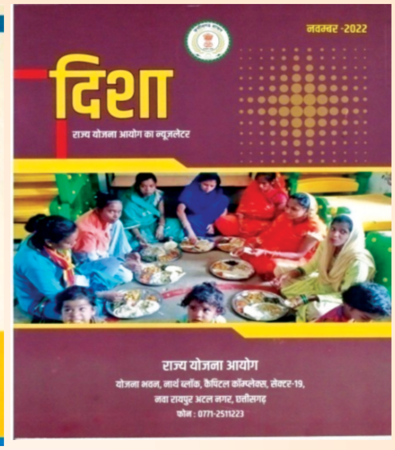

राज्य योजना आयोग के प्रकाशनों का लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में प्रेषण

लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा दिनांक 31 मई 2022 के माध्यम से राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से साझा करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ जिसके अनुक्रम में राज्य योजना आयोग द्वारा निम्न प्रकाशनों को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से साझा किया गया –

1. छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. विजन 2030
2. छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डिकेटर फ्रेमवर्क
3. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स : बेसलाइन व प्रोग्रेस रिपोर्ट 2020

भाग-सात

सारांश

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ की बदली हुई भूमिका के अनुसार राज्य के संतुलित विकास हेतु चयनित विषयों पर राज्य, राष्ट्रीय व अंतर–राष्ट्रीय स्तर के लब्धप्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों के साथ गहन विमर्श व सुझाव प्राप्त करने के उपरांत राज्य योजना आयोग द्वारा गठित टॉस्कफोर्स की अनुसंशाएँ प्राप्त कर प्रतिवेदन तैयार किये गये। सतत् विकास लक्ष्यों के राज्य एवं जिला स्तर पर प्रगति के मूल्यांकन में सहायता हेतु ''फ्रेमवर्क'' व ''डैशबोर्ड'' तैयार किया गया है। साथ ही नवाचार एवं शोध को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नवाचार, शोध एवं सेक्टर विशेष के लिये प्रयास किये जाने हेतु प्रदेश के विश्वविद्यालयों/उच्च शैक्षणिक संस्थानों/प्रशिक्षण संस्थानों के अलावा गैर शासकीय संस्थानों के साथ गैर वित्तीय अनुबंध भी किया गया है।

परिशिष्ट–एक

राज्य योजना आयोग में स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति

(31 दिसम्बर, 2020 की स्थिति में)

क्र.	स्वीकृत पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	वेतन लेवल	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	रिर्माक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सदस्य	प्रथम	राज्य शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान		1	1	0	–
2	सदस्य सचिव	प्रथम	141800–214700	17	1	1	0	–
3	सलाहकार	प्रथम	118500–214100	15	4	2	2	–
4	उप सचिव	प्रथम	79900–211700	14	1	0	1	–
5	संयुक्त संचालक	प्रथम	79900–211700	14	2	2	0	–
6	संयुक्त संचालक (वित्त)	प्रथम	79900–211700	14	1	1	0	–
7	अवर सचिव	प्रथम	67300–213100	13	1	0	1	–
8	शोध अधिकारी	प्रथम	67300–213100	13	3	2	1	–
9	सांख्यिकी अधिकारी	द्वितीय	56100–177500	12	4	0	4	–
10	सहायक संचालक	द्वितीय	56100–177500	12	2	1	1	–
11	प्रशासकीय अधिकारी	द्वितीय	56100–177500	12	1	0	1	–
12	शीघ्रलेखक ग्रेड–1	द्वितीय	43200–136500	10	1	1	0	–
13	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय	35400–112400	8	1	1	0	–
14	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय	38100–120400	9	4	2	2	–
15	कनिष्ठ ग्रंथपाल	तृतीय	38100–120400	9	1	0	1	–
16	शीघ्रलेखक ग्रेड–2	तृतीय	38100–120400	9	2	2	0	–
17	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	तृतीय	28700–91300	7	2	0	2	–
18	सहायक ग्रेड–1	तृतीय	28700–91300	7	1	1	0	–
19	अन्वेषक	तृतीय	28700–91300	7	4	1	3	–
20	वरिष्ठ लेखापाल	तृतीय	28700–91300	7	1	1	0	–
21	कनिष्ठ लेखापाल	तृतीय	25300–80500	6	1	0	1	–
22	सहायक ग्रेड–2	तृतीय	25300–80500	6	2	0	2	–
23	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	तृतीय	25300–80500	6	6	3	3	–
24	सहायक ग्रेड–3	तृतीय	19500–62000	4	4	1	3	–
25	वाहन चालक	तृतीय	19500–62000	5	5	5	0	–
26	दफ्तरी	चतुर्थ	16100–50900	2	1	0	1	–
27	भृत्य	चतुर्थ	15600–49400	1	11	9	2	–
28	चौकीदार	चतुर्थ	कलेक्टर दर		2	0	2	–
29	वाटरमेन	चतुर्थ	कलेक्टर दर		1	0	1	–
30	फर्राश	चतुर्थ	कलेक्टर दर		1	0	1	–
				योग	72	37	35	

उपाध्यक्ष स्थापना हेतु								
क्र.	स्वीकृत पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	वेतन लेवल	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पद	रिक्त पद संख्या	रिर्माक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उपाध्यक्ष	राज्य शासन द्वारा मनोनीत			1	1	0	–
2	विशेष सहायक	प्रथम	67300.213100	13	1	0	1	–
3	निज सचिव	द्वितीय	43200.136500	10	1	0	1	–
4	निज सहायक	द्वितीय	38100.120400	9	1	0	1	–
5	सहायक ग्रेड–2	तृतीय	25300.80500	6	1	0	1	–
6	वाहन चालक	तृतीय	19500.62000	4	2	1	1	–
7	भृत्य	चतुर्थ	15600.49400	1	3	2	1	–
				योग	**10**	**4**	**6**	
				महायोग	**82**	**41**	**41**	

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

भाग-एक

सामान्य जानकारी एवं विभागीय संरचना

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसमें 1982 और 1986 में कुछ संशोधन हुये। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियॉ एवं अनुभवों के साथ उनके प्रकार की नई नीतियॉ और कार्यक्रम शुरू करने के कारण आर्थिक सुधारों की अनवरत प्रक्रिया, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण को ध्यान में रखते हुये बीस सूत्रीय कार्यक्रम को पुनः संरचित करते हुये बीस सूत्रीय कार्यक्रम–2006 लागू किया गया है ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम–2006 में ग्रामीण और शहरी जनता के हित के सूत्र हैं। इसके अंतर्गत देश में गरीबी हटाने और गरीब तथा शोषित जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के कार्यक्रमों पर बल दिया गया है। इस कार्यक्रम में गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, कमजोर वर्ग का संरक्षण तथा सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण, ई–शासन आदि जैसे विभिन्न सामाजार्थिक पहलुओं को शामिल किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमजी) में निहित प्राथमिकताओं को विशेष महत्व दिया गया है। इसके अन्तर्गत गरीबी हटाने, उत्पादकता बढ़ाने, आय संबंधी असमानताओं को कम करने तथा सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिये राष्ट्र की प्रतिबद्धता को प्रतिपादित किया गया है। बीस सूत्रीय कार्यक्रम–2006 (एम0डी0जी0) यू0एन0 मिलेनियम डेवलेपमेंट्स गोल्स और सार्क सोशल चार्टर जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रबोधित करने एवं समीक्षा करने के अनुरूप बहुत सी मदें सम्मिलित की गई हैं ।

अधीनस्थ कार्यालय

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001 से बीस सूत्रीय कार्यक्रम विभाग के अधीनस्थ जिलाध्यक्ष कार्यालय हेतु सहायक ग्रेड–02 व सहायक ग्रेड–03 के 16–16 पद एवं विकासखण्ड कार्यालय हेतु सहायक ग्रेड–03 के 146 पद स्वीकृत हैं तथा राज्य स्तरीय बीस सूत्रीय क्रियान्वयन समीक्षा समिति कार्यालय हेतु निज सहायक के 01 पद तथा भृत्य के 02 पद स्वीकृत हैं ।

राज्य शासन द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय/ब्लाक स्तर पर समीक्षा समिति का गठन किया गया है तथा राज्य स्तरीय समिति की बैठक वर्ष में दो बार, जिला स्तरीय समिति की बैठक हर तिमाही में तथा ब्लाक स्तरीय समिति की बैठक हर माह आयोजित करने के प्रावधान किये गये हैं। इसी प्रकार राज्य स्तरीय बीस सूत्रीय कार्यक्रम की नियमित समीक्षा करने हेतु उप समिति का गठन किया गया है । यह उप समिति कम से कम तीन माह में एक बार बैठक आयोजित करेगी । उप समिति अपनी अनुशंसा एवं कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

विभागीय दायित्व

1. कार्यक्रम की प्रगति का संकलन, अनुश्रवण एवं समीक्षा ।
2. राज्य/जिला/विकास खण्ड स्तरीय एवं शहरी बीस सूत्रीय समितियों का गठन ।
3. केन्द्र शासन के बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रसारित निर्देशों पर अनुवर्तन कार्यवाही ।
4. सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना का अनुश्रवण एवं समीक्षा ।
5. विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही ।

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ

1. प्रबोधन एवं अनुश्रवण

इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र शासन से प्राप्त दिशा–निर्देशों के सापेक्ष्य में कार्यवाही करते हुए कार्यक्रम प्रगति/उपलब्धियों का राज्य प्रतिवेदन केन्द्र शासन को संप्रेषित किया जाता है। कतिपय विषयों पर न्यूनतम उपलब्धियों पर विभागीय टीप प्राप्त कर शासन को अवगत कराया जाता है । कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक मार्गदर्शन एवं दिशा–निर्देश दिया जाता है ।

2. पंचायती राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित दायित्व

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विषयगत प्रगति व उपलब्धियों की समीक्षा का दायित्व क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं– (राज्य, जिला व जनपद पंचायतों) को प्रत्यायोजित किया गया है। कार्यक्रम की देख–रेख का दायित्व भी इन संस्थाओं को सौंपा गया है।

<u>जानकारी संकलन हेतु नियत विभागः</u>

1. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2. राजस्व विभाग
3. आवास एवं पर्यावरण विभाग
4. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
5. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
6. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
7. आदिम जाति कल्याण विभाग
8. महिला एवं बाल विकास विभाग
9. वन विभाग
10. ऊर्जा विभाग
11. लोक निर्माण विभाग

<u>बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत समीक्षा की विषयगत सूची :–</u>

1. बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र/राज्य शासन द्वारा संचालित 20 कार्यकलापों को समाहित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है

1 रोजगार सृजन–महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ।

(क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना(एसजीएसवाई)।

(ख) (एसजीएसवाई)के अंतर्गत अ.जा. अ.जा. महिलाओं एवं विकलांग स्वरोजगारियों को सहायता।

2. (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गठित स्व सहायता ग्रुप।

(ख) स्व सहायता ग्रुप जिन्हों आय का सृजन करने वाली गतिविधियां प्रदान की गई है ।

3. (क) भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण ।

(ख) अ.जा.,अ.ज.जा एवं अन्य वितरित की गई बंजर भूमि ।

4. (क) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित)

(i)किया गया निरीक्षण(ii) पाई गई अनियमितताएं

(iii) सुधारी गई अनियमितताएं

(ख) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित)

(i) किए गए दावे (ii) निपटाए गए दावे

(ग) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित)

(i) लंबित अभियोजन केस (ii) दायर किए गए अभियोजन केस

(iii) निर्णीत अभियोजन केस

5. (क) खाद्य सुरक्षा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली Targeted Public Distribution System (टीपीडीएस) अन्त्योदय अन्न योजना(एएवाई)एपीएल और बीपीएल के लिए

(ख) खाद्य सुरक्षा–टीपीडीएस केवल अन्त्योदय अन्न योजना(एएवाई)

(ग) खाद्य सुरक्षा–टीपीडीएस केवल गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल)

(घ) खाद्य सुरक्षा–टीपीडीएस केवल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)

6. ग्रामीण आवास –प्रधानमंत्री आवास योजना

7. शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास,

8. ग्रामीण क्षेत्र–एआरडब्ल्यूएसपी शामिल बसावटें (एनसी/पीसी)

9. छूटी हुई बसावटों तथा जल गुणवत्ता की समस्याओं वाली बसावटों में कार्यों की शुरूआत

10 ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम,

11 संस्थानिक प्रसव,

12. सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार

13. आईसीडीएस योजना का वैश्वीकरण (संचयी)

14. क्रियाशील आंगनबाड़ियां (संचयी)

15. सात सूत्री चार्टर के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या
16. (क) वनरोपण – रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)
    (ख) वनरोपण – रोपित पौधे(सार्वजनिक एवं वन भूमि)
17. ग्रामीण सड़कें – पीएमजीएसवाई के अधीन निर्मित सड़कें
18. राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अतंर्गत गांव को बिजली प्रदान की गई
19. पम्पसेटों को बिजली
20. विद्युत आपूर्ति

भाग-दो

कार्यक्रम के अन्तर्गत बजट प्रावधान एवं व्यय

(राशि रू. हजार में)

योजना शीर्ष	वर्ष 2022–23 वास्तविक व्यय (दिसंबर 2022)	वर्ष 2022–23 पुनरीक्षित प्रस्ताव
2987–बीस सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन	16405	38525
योग	16405	38525

भाग-तीन

राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना–निरंक

भाग-चार

सामान्य प्रशासनिक विषय–निरंक

भाग-पाँच

अभिनव योजनाएँ–निरंक

भाग-छः

प्रकाशन–निरंक

भाग-सात

सारांश–

बीस सूत्रीय कार्यक्रम–2006 में ग्रामीण और शहरी जनता के हित के सूत्र हैं। इसके अन्तर्गत देश में गरीबी हटाने तथ शोषित जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के कार्यक्रमों पर बल दिया गया है।